

राजस्थान राजकार

रामाधिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी ३/१, राजपहल रोडीडेनी ऐरिया, पिंगल लाईन फाटक, जयपुर।

क्रमांक : एफ ९(४)()/छात्रवृति/पोर्टल/कार्ययोजना /2022/5550

जयपुर दिनांक : 17/03/2023

आदेश

विभाग द्वारा रांचालित अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण वर्ष 2022-23 में विद्यार्थियों के छात्रवृति आवेदन आमंत्रित किये जाने हेतु जारी आदेश क्रमांक 3469 दिनांक 16.06.2022 के बिन्दु रांख्या 1 (ब) में अंकित अनुसार “गत परीक्षा में ८० प्रतिशत न्यूनतम प्राप्तांक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी” की अनियार्थिता को वर्तमान सत्र हेतु अनुमानित यजट आवंटन व केन्द्र द्वारा जारी अलोकेशन अनुसार वर्ष 2022-23 के आवेदन पत्रों के लिये हटाया जाता है।

अतः शैक्षणिक सत्र 2022-23 में अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत 17 प्राथमिकताओं वाली श्रेणियों में प्राप्त आवेदन पत्रों में समस्त पात्र आवेदन पत्रों का नियमानुसार निस्तारण किया जावे।


(हरि मोहन मीना)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ ९(४)()/छात्रवृति/पोर्टल/कार्ययोजना /2022/5551-69 जयपुर दिनांक : 17/03/2023
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

- निजी सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, जयपुर।
- निजी सचिव, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/संस्कृत, धीकानेर/जयपुर।
- निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग, जोधपुर।
- वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
- संयुक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
- रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकीय /निजी विश्वविद्यालय/वोर्ड/कार्डिसिल, समस्त.....।
- जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त.....।
- प्राचार्य, राजकीय मेडिकल/स्नातकोत्तर/स्नातक महाविद्यालय समस्त.....।
- प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय/राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय/राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त.....।
- अधीक्षक राजकीय /निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त.....।
- संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएं.....।

15. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक प्रावधान करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई-मेल करवाने हेतु।
16. उप निदेशक प्रचार-प्रसार प्रशाखा, मुख्यावास को उपरोक्तानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाया जाना सुनिश्चित करें।
17. सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
18. उप/सहायक निदेशक सान्याअवि समस्त को सूचनार्थ।
19. रक्षित पत्रावली।

17. 3. 23
अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृति एवं छात्रावास)